

प्रेस विज्ञप्ति

6.7.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और अन्य के मामले में चल रही जाँच में **9.22 करोड़ रुपये (लगभग)** की अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, कोलकाता द्वारा आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। सीबीआई ने इन एफआईआर में 30.12.2016 और 31.12.2020 को आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और अन्य ने बैंकों के संघ (कॉनसॉर्टियम) से 2009 से 2013 की अवधि के दौरान **704 करोड़ रुपये** की ऋण सुविधा का लाभ उठाया। उक्त कंपनी के खाते 2013 में एनपीए हो गए क्योंकि पार्टी ने बैंक का बकाया नहीं चुकाया। अपनाई गई कार्यप्रणाली में कई फर्जी कंपनियों का उपयोग करके “व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत” ऋणों को “व्यक्तिगत और अन्य गैर-इच्छित उद्देश्यों” के लिए निकालना शामिल था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स आर पी टेकविजन (आई) प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न खातों में मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के विभिन्न खातों से सीधे या कई फर्जी कंपनियों के विभिन्न खातों के माध्यम से 114.66 करोड़ रुपये (लगभग) स्थानांतरित किए गए थे, जो मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड को प्रविष्टियां प्रदान करने में शामिल थे। रुपये 114.66 करोड़ में से, आंशिक धन का उपयोग मेसर्स एसएसटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण लेने के लिए किया गया था, जो "कोलकाता टीवी" के नाम और शैली के तहत टीवी चैनल चला रहा था। इसी तरह, मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड ने निवेश की आड़ में मेसर्स ऑनट्रैक सिस्टम्स लिमिटेड के विभिन्न खातों में **10.80 करोड़ रुपये** स्थानांतरित किए। मेसर्स ऑनट्रैक सिस्टम्स लिमिटेड के पास मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों के साथ-साथ फर्जी कंपनियों के साथ कई वित्तीय लेनदेन भी थे आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड निदेशालय द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स ऑनट्रैक सिस्टम्स लिमिटेड की हैं

इससे पहले मार्च 2018 में मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और प्रमोटर/निदेशकों/परिवार के सदस्यों की कई चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं, जिनका

बाजार मूल्य 22.67 करोड़ रुपये था। साथ ही, इस मामले में 07.12.2018 और 25.09.2023 को दो अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।